प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2969/2010</u>

याचिकाकर्ता : सूरज प्रसाद गुप्ता

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

<u>रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3065/2010</u>

याचिकाकर्तागण : शिवराम वैद्य और अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और एक अन्य

<u>रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3068/2010</u>

याचिकाकर्ता : मनोज सोनी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और एक अन्य

<u>रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4208/2010</u>

याचिकाकर्ता : विश्वनाथ सिन्हा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और एक अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>निर्णय हेतु दिनांक 27 जुलाई 2012 को सूचीबद्ध करें।</u>

सही/-

सतीश के. अग्नीहोत्री

न्यायाधीश

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2969/2010</u>

याचिकाकर्ता : सूरज प्रसाद गुप्ता

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

<u>रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3065/2010</u>

याचिकाकर्तागण : शिवराम वैद्य और अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और एक अन्य

<u>रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3068/2010</u>

याचिकाकर्ता : मनोज सोनी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और एक अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4208/2010</u>

याचिकाकर्ता : विश्वनाथ सिन्हा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और एक अन्य

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाएँ)

एकल पीठः माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री,

उपस्थितः-

संबंधित याचिकाकर्तागण की ओर से श्री अनूप मजूमदार और श्री ओम पी. साहू, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री वाई.एस. ठाकुर, उप महाधिवक्ता सहित श्री पी.के. भादुड़ी, पैनल अधिवक्ता।

उत्तरवादी- जिला पंचायत, दुर्ग की ओर से श्री पी.पी. साहू, अधिवक्ता।

.....

(27 जुलाई 2012 को पारित किया गया)

1. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. याचिकाओं का यह समूह, अर्थात् **रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2969, 3065, 3068 एवं 4208 वर्ष 2010**, समान तथ्यों तथा विधि के समान प्रश्नों से संबंधित है, अतः इन सभी याचिकाओं पर इस समान **आदेश** द्वारा विचार कर उनका निराकरण किया जा रहा है। निराकरण के उद्देश्य से **रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3065 वर्ष 2010** के तथ्य यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

3. इन याचिकाओं के माध्यम से याचिकाकर्ता उत्तरवादियों से यह निर्देश देने का अनुरोध करते हैं कि वे तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संचालनालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक **30-11-1989** के आधार पर **शिक्षा कर्मी** के पद पर नियुक्ति हेतु याचिकाकर्ताओं को **आयु में छूट** का लाभ प्रदान करें।

4. इन याचिकाओं के निराकरण हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत **निर्विवाद तथ्यों** का संक्षिप्त विवरण यह है कि उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा **शिक्षा कर्मी ग्रेड-I, II एवं III** के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया। उक्त विज्ञापन के अनुसरण में याचिकाकर्ताओं ने संबंधित पदों के लिए चयन हेतु आवेदन किया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, पूर्ववर्ती चयन प्रक्रिया में **ग्रीन कार्ड धारकों**, अर्थात् जिन्होंने **परिवार नियोजन नसबंदी ऑपरेशन** कराया था, को **दो वर्ष की आयु सीमा में छूट** प्रदान की गई थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. याचिकाकर्ताओं के जीवनसाथियों ने **परिवार नियोजन नसबंदी ऑपरेशन** कराया था और इस कारण वे **ग्रीन कार्ड धारकों** को प्रदान की जाने वाली **दो वर्ष की आयु सीमा में छूट** के लाभ के पात्र हैं। तथापि, चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् याचिकाकर्ताओं को **अधिक आयु** का आधार लेकर चयनित नहीं किया गया, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को उपर्युक्त रूप से पात्र होने के बावजूद **दो वर्ष की आयु सीमा में छूट** का लाभ प्रदान नहीं किया गया। इससे क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ताओं ने उत्तरवादी प्राधिकारियों के समक्ष आपत्तियाँ प्रस्तुत कीं, किंतु उनसे कोई परिणाम नहीं निकला। इसी मध्य **काउंसलिंग प्रक्रिया** संपन्न हो गई और याचिकाकर्ताओं से **कम अंक प्राप्त करने वाले** अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया। याचिकाकर्ताओं द्वारा राज्य के उच्च अधिकारियों के समक्ष भी कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए, परंतु उनके मामलों पर भी विचार नहीं किया गया। फलस्वरूप, ये याचिकाएँ प्रस्तुत की गई हैं।

6. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित **श्री मजूमदार** एवं **श्री ओ.पी. साहू**, विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता इस आधार पर **आयु सीमा में छूट** के लाभ के पात्र हैं कि उनके जीवनसाथियों ने **परिवार नियोजन नसबंदी ऑपरेशन** कराया है। वास्तव में, याचिकाकर्ता **परिपत्र दिनांक 30-1-1989** में प्रदत्त लाभ के हकदार

हैं, क्योंकि उक्त परिपत्र को न तो संशोधित किया गया है, न ही परिवर्तित अथवा निरस्त किया गया है।

7. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान **उप महाधिवक्ता श्री ठाकुर**, सहित **श्री पी.के. भादुरी**, पैनल अधिवक्ता उपस्थित थे, ने तर्क प्रस्तुत किया कि **छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रीन कार्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं है**।

8. जिला पंचायत, दुर्ग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता **श्री साहू** ने भी राज्य की ओर से प्रस्तुत तर्कों का समर्थन किया।

9. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा प्रस्तुत याचिकाओं के अभिलेखों एवं संलग्न दस्तावेज़ों का अवलोकन किया।

10. छत्तीसगढ़ राज्य की **सामान्य प्रशासन विभाग** द्वारा जारी परिपत्र दिनांक **31-10-2002** के माध्यम से राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि दिनांक **31-10-2000 से पूर्व** अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जारी किए गए सभी परिपत्र, जब तक कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा निरस्त या संशोधित नहीं किया जाता, **छत्तीसगढ़ राज्य में लागू रहेंगे**।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. दिनांक **18-8-2011** का पत्र किसी भी प्रकार से सहायक नहीं है, क्योंकि यह केवल **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन** के **अवर सचिव** द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा गया एक साधारण पत्र है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि **ग्रीन कार्ड योजना छत्तीसगढ़ राज्य में लागू नहीं होगी**। अतः यह नहीं माना जा सकता कि उक्त पत्र न कोई परिपत्र है या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक **31-10-2000** का कोई संशोधन है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि दिनांक **30-11-1989** के परिपत्र सहित, **31-10-2000 से पूर्व** मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जारी किए गए सभी परिपत्र छत्तीसगढ़ राज्य में लागू रहेंगे। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **डॉ. (मेजर) ठाकुर अजीत सिंह और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य**[1] के प्रकरण में प्रतिपादित किया गया है।

12. यह निर्विवाद है कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं के जीवनसाथियों ने **नसबंदी (परिवार नियोजन) ऑपरेशन** कराया है, जिसके लिए याचिकाकर्ता **ग्रीन कार्ड** के पात्र हैं। यद्यपि संभव है कि याचिकाकर्ताओं के पास वास्तव में ग्रीन कार्ड न हो, तथापि केवल इस

1 W.P.(c) No. 7222 of 2009 (decided on 27.09.2010)

आधार पर उन्हें **परिपत्र दिनांक 30-11-1989** से प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता।

13. इस न्यायालय ने **डॉ. (मेजर) ठाकुर अजीत सिंह (पूर्वोक्त)** प्रकरण में निम्नलिखित अवलोकित किया हैः

> **"7.** छत्तीसगढ़ राज्य के **सामान्य प्रशासन विभाग** द्वारा जारी परिपत्र दिनांक **31 अक्टूबर, 2002** के माध्यम से राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि दिनांक **31.10.2000 से पूर्व** अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जारी किए गए सभी परिपत्र, जब तक कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा निरस्त या संशोधित नहीं किया जाता, **छत्तीसगढ़ राज्य में लागू रहेंगे**। राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह संकेत मिले कि **परिपत्र दिनांक 31.11.1989** को छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा निरस्त किया गया हो। राज्य सरकार ने **पत्र दिनांक 29.2.2008 (अनुलग्नक आर/1)** के माध्यम से, जो संयुक्त संचालक, चिकित्सा शिक्षा को संबोधित था, **परिपत्र दिनांक 31.10.2002** में व्यक्त उसी दृष्टिकोण की पुनः पुष्टि की है।**"**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. परिपत्र दिनांक **30-11-1989** (**अनुलग्नक** – पी/**5**) निम्नानुसार हैः

> "विषयः ग्रीन कार्ड धारकों को सुविधाएँ मुहैया कराने बाबत ।
> राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र कमांक 2-8-83-सत्रह-मेडि- 5, दिनांक 5-1-1985, द्वारा आदेश दिये गये हैं कि परिवार कल्याण कार्यकम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारकों की योजना दिनांक 26-1-1985 से लागू किया जाये।
> इस योजना के तहत ऐसे प्रकरण एवं महिला जिन्होने दो बच्चे के बाद नसबन्दी करवा ली है ग्रीन कार्ड दिया जायेगा। ग्रीन कार्ड धारक पति/पत्नी उनके बच्चों का राज्य शासन के समस्त शासकीय अस्पताल, डिस्पेंसरी आदि सभी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएँ एवं दवाएँ निःशुल्क प्रदान की जायें। तदुपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त विभागों को ग्रीन कार्ड सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करने हेतु निम्न परिपत्र जारी किये गये हैं-

शासन के पत्र	सुविधाएँ
(1) म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग कमांक सी-3-40-843-1 दि. 11-1-1985 द्वारा	केजुअल एवं कन्ट्रींजेन्सी पर नियुक्ति हेतु ग्रीन-धारकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
(2) म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग कमांक सी-3-40-843-1 दि. 11-1-1985 द्वारा	ग्रीन-धारकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट।
(3) म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन कमांक सी-3-40-3-1-84।	शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में 5 प्रतिशत अंकों की सुविधा।

ऐसे अतिरिक्त ग्रीन कार्ड धारकों में छपी निम्न सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं-(1) पति/पत्नी व बच्चों को निःशुल्क दवाइयां व आवश्यक चिकित्सा सुविधा।

(2) नियुक्ति में 2 वर्ष की आयु वृद्धि एवं आरक्षण में प्राथमिकता। साक्षात्कार के पूर्णांकों में 5 प्रतिशत अंक तक छूट।

(3) भूमि तथा आवासीय भू-खण्ड आबण्टन में प्राथमिकता ।

(4) मेडिकल/इंजीनियरिंग प्रशिक्षण में शुल्क माफ ।

(5) फुटकर विकेता के लायसेंस देने में प्राथमिकता, कन्ट्रोल रेट सीमेंट आबण्टन में प्राथमिकता ।

(6) मत्स्य पालन, दुधारू पशु-पालन व्यवसाय ऋण में प्राथमिकता, शुकर, बकरी, कुक्कुट इकाइयों के वितरण में प्राथमिकता।

(7) प्रदर्शन प्लाट, कुआँ एवं पम्प हेतु प्राथमिकता तथा बायोगैस संयन्त्र स्थापना हेतु प्राथमिकता।

शासन के पास अनेकों शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि ग्रीन-कार्ड धारकों को उपरोक्त सुविधाएँ सुलभ नहीं हो पा रही हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि आप व्यक्तिगत रूचि लेकर अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करें। ग्रीन कार्ड धारकों को विभाग से सम्बन्धित सुविधाएँ निश्चित रूप से उपलब्ध कराई जावें ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

भारत शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी असन्तोष व्यक्त करते हुए लिखा है कि अनेक ग्रीन-धारक आज भी सुविधाओं से वंचित हैं।

मैं आपसे पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सम्बन्धितों को तत्सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश प्रदान करें।

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संचालनालय म.प्र.क. 3/14155/14304, दिनांक 30-11-1989]"

15. परिपत्र दिनांक **30-11-1989** में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि यदि किसी महिला ने **दो बच्चों के पश्चात् नसबंदी ऑपरेशन** कराया है, तो उसे **ग्रीन कार्ड** प्रदान किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं की पत्नियों ने दो बच्चों के पश्चात् नसबंदी ऑपरेशन कराया है—यह तथ्य विवादित नहीं है। अतः भले ही उन्हें ग्रीन कार्ड प्रदान न किया गया हो, जिसके वे पात्र थीं, तथापि याचिकाकर्ता उक्त परिपत्र के अंतर्गत प्रदत्त **सुविधाओं/लाभों** के समान रूप से हकदार हैं। उपलब्ध अनेक लाभों में से एक **दो वर्ष की आयु सीमा में छूट**, **आरक्षण में वरीयता** तथा **साक्षात्कार में 5% की छूट** है। याचिकाकर्ता उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर **आयु सीमा में छूट** का दावा कर रहे हैं, जिसके वे पात्र हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, यदि याचिकाकर्ताओं को **दो वर्ष की आयु सीमा में छूट** प्रदान करने के पश्चात् वे **निर्धारित आयु-सीमा** के भीतर आते हैं, तो उन्हें **नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया में भाग लेने** की अनुमति दी जाएगी, जो विधि के अनुरूप एवं अपने-अपने गुण-दोष के आधार पर होगी।

17. परिणामस्वरूप, उपर्युक्तानुसार निर्दिष्ट सीमा तक **रिट याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं** तथा **पक्षकार को अपने वाद व्यय स्वयं वहन करने** होंगे।

सही/-

सतीश के. अग्नीहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ..... Angel Kujur, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur